

अपील सूचना अधिकार संख्या 173/2015 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्वो श्री मंगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

26-12-2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।



अपीलार्थी का कथन था कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 19.10.15 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से सूचनाएं चाही गयी थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं, जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया जावे।

मैंने अपीलार्थी के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 19.10.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी:-

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर के पत्रांक 1827 दिनांक 14.10.15 के संबंध में सूचनाएं:-

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 5262 दिनांक 06.10.2015 से जो अवगत करवाया गया था उसकी लिखित सूचना संबंधित कर्मकारों व अधिकारियों के शपथ पत्र सहित।
2. विभाग के जिस नियम की पालना में अवगत कराया गया है उस नियम की लिखित सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. उपरोक्त पत्र में अंकित कथन कि बार बार अनावश्यक रूप से स्मरण पत्र लिखने के तथ्य प्रार्थी कर रहा है। अनावश्यक कथन प्रार्थी द्वारा जो किये गये या लिखे गये हैं उनका विवरण व सूचना व विभागीय नियम की सूचना जिसके अन्तर्गत में कथन अंकित किये गये हैं।
4. जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 25192-94 दिनांक 08.10.15 पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. कार्यवाही न करने पर आप द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्रीगंगानगर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के नियम की सूचना।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर अति. जिला कलक्टर (प्र०) श्रीगंगानगर से टिप्पणी एवं रिकार्ड चाहे जाने पर उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर से संबंधित सूचना होने के कारण उन्हें दिनांक 09.12.15 से जबाब प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किया गया। इस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं० 1971 दि० 21.12.15 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 1904 दिनांक 16.11.2015 के द्वारा प्रार्थी को पंजिकृत डाक द्वारा समय पर उपलब्ध करवा दी गयी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।


जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं० 1907 दि० 16.11.2015 के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया है:-

आप द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना के संबंध में लेख है कि:-
बिन्दु सं० 1 से 5 के तहत चाही गई सूचना के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेषण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राज० सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2घ में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते हैं।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं० 1 से 5 तक की जो सूचनाएं चाही गई हैं वह कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नहीं है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 16.11.2015 सही है फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतु आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथि नियत कर अपीलार्थी को सूचित करें और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तुरंत तब तक मील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 26.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर